मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल अंतर्गत आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उप संचालक तथा विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ दिनांक 29/11/2024 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण

--oo--

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के प्रबंध संचालक सह आयुक्त की अध्यक्षता में समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त संचालक/उपसंचालक तथा विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी सचिवों के साथ मुख्यालय स्थित सभाकक्ष में मासिक समीक्षा बैठक दिनांक 29-11-2024 को दोपहर 12:00 बजे आयोजित की गई। बैठक में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय के अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक, आंचलिक कार्यालयों से संयुक्त/उप संचालक तथा विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों से मंडी सचिव उपस्थित रहे। बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई:-

(1) तुलनात्मक मासिक/प्रोग्रेसिव आवक की समीक्षा:-

प्रदेश के समस्त आंचलिक संभागों की माह अक्टूबर 2024 की तुलनात्मक मासिक आवक एवं आय की समीक्षा की गई। समीक्षा में परिलक्षित हुआ कि भोपाल संभाग में माह अक्टूबर 2023 की तुलना में -13.96% आवक में कमी तथा -49.23% आय में कमी दर्ज हुई है। भोपाल संभाग की आंचलिक अधिकारी द्वारा बताया गया कि आवक एवं आय में कमी के कारणों में इस वर्ष सोयाबीन पीएसएस में जाने के कारण मंडियों में आवक कम होना एवं अ वर्ग की कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों की कमी होना बताया गया। प्रबंध संचालक द्वारा मानव संसाधनों के युक्तियुक्तकरण करते हुए एवं नियुक्तियां कराये जाने हेतु मुख्यालय स्तर पर विचार किए जाने के निर्देश दिए गए।

इंदौर संभाग में माह अक्टूबर 2023 की तुलना में -7.82% आवक में कमी तथा -20.57% आय में कमी दर्ज हुई है। इंदौर संभाग की आंचलिक अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्षा होने से एवं भाव में कमी होने के कारण आवक एवं आय में कमी हुई है, जो आगामी माह में बढ़ जावेगी।

प्रदेश की जिन कृषि उपज मंडी समितियों की आय में अत्यधिक कमी परिलक्षित हुई है, उन कृषि उपज मंडी समितियों के संबंधित सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।

उज्जैन संभाग में माह अक्टूबर 2023 की तुलना में -21.59% आवक में कमी तथा -38.19% आय में कमी दर्ज हुई है। ग्वालियर संभाग में माह अक्टूबर 2023 की तुलना में -23.15% आवक में कमी तथा -40.83% आय में कमी दर्ज हुई है। ग्वालियर संभाग की श्योपुरबड़ोद मंडी में प्रगामी आवक में -76.26 प्रतिशत कमी दर्ज हुई है।

प्रदेश की जिन कृषि उपज मंडी समितियों की आवक में अत्यधिक कमी परिलक्षित हुई है, उन कृषि उपज मंडी समितियों के संबंधित सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।

जबलपुर संभाग में माह अक्टूबर 2023 की तुलना में आवक में 7.59% की वृद्धि तथा -71.45 % आय में कमी दर्ज हुई है। संभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि मक्का की आवक अच्छी होने से आवक में वृद्धि दर्ज हुई हैं। मार्कफेड एवं नागरिक आपूर्ति निगम से उपार्जन की राशि अप्राप्त होने से आय में कमी आई है।

सागर संभाग में माह अक्टूबर 2023 की तुलना में आवक में -7.96% की कमी तथा -39.75 % आय में कमी दर्ज हुई है। संभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया इस वर्ष फसल देर से आई एवं दीपावली पर्व पर मंडियों में 5 दिवस का अवकाश रहा जिससे आय एवं आवक में कमी हुई।

आगामी समीक्षा बैठकों में कृषि उपज मंडी समितियों को निम्न श्रेणी में रखा जाकर स्लाईड तैयार किए जाने के निर्देश दिए:-

अ-वर्ग - -10 % आवक एवं आय

ब-वर्ग - -15 % आवक एवं आय

स एवं द-वर्ग- -20%आवक एवं आय

(2) **लेखा सत्यापन:-**

समस्त आंचलिक संभागों के लेखा सत्यापन चालू वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व किया जाना चाहिए। सभी आंचलिक अधिकारी 10 प्रतिशत लेखा सत्यापन करें। लक्ष्य निर्धारित करते हुए 03 माह की समयावधि में शेष लेखा सत्यापन पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

(3) **आरआरसी वसूली कार्यवाही:-**

आरआरसी वसूली के प्रकरणों में समस्त आंचलिक अधिकारी स्वयं मानीटरिंग करते हुए वसूली करावें। 30 दिसंबर तक 25 प्रतिशत वसूली के लक्ष्य निर्धारित कर वसूली करने के निर्देश दिए गए।

(4) **एगमार्कनेट पोर्टल:-**

समस्त आंचलिक कार्योलयों को अपने अंचल की चयनित फल सब्जी की आवक वाली मंडियों की दैनिक आवक भाव की जानकारी की डाटा रिर्पोटिंग एगमार्कनेट पोर्टल पर कराने के निर्देश दिए गए है। समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिम्मवारी निर्धारित कर डाटा रिर्पोटिंग पोर्टल पर कराया जाना सुनिश्चित करें।

(5) **ई अनुज्ञा पोर्टल:-**

समस्त कृषि उपज मंडी समितियों एवं आंचलिक कार्यालयों से ई-अनुज्ञा प्रणाली को और अधिक सुगम बनाये जाने के लिए अतिरिक्त सुझाव चाहा गया। समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 01 सप्ताह की समयावधि में अगर कोई सुझाव हो तो उपलब्ध करावें।

(6) **ई-मंडी योजना:-**

वर्तमान में प्रदेश की 42 कृषि उपज मंडी समितियों में ई-मंडी योजना क्रियान्वित है। ई-मंडी योजना का विस्तारीकरण करते हुए ब-वर्ग की मंडी समितियों को ई मंडी बनाने हेतु 31 दिसंबर तक पीओएस मशीन आदि क्रय कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

(7) **एम.पी. फार्म गेट एप:-**

एमपी फार्मगेट एप का प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में संचालन किया जा रहा है। एप का मंडी स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना है। लक्ष्य निर्धारित कर अ वर्ग की मंडियों में 200, ब वर्ग में 150, स वर्ग में 100 एवं द वर्ग में 50 कृषकों को एप डाउनलोड करावें। मंडी के प्रवेश द्वार पर बेनर/पंपलेट आदि के माध्यम से कृषकों को एप की उपयोगियता बताया जाना सुनिश्चित करें। भारसाधक अधिकारी, जिला कलेक्टरों को एप का एक्सेस उपलब्ध कराते हुए ज्यादा से ज्यादा कृषकों को जोड़े जाने के निर्देश दिए गए।

(8) **फ्लाइंग स्क्वाड एप :-**

मंडी बोर्ड द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड एप को विकसित कर चयनित मंडी समितियों में ऐप के माध्यम से वाहन एवं गोदाम निरीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। समस्त आंचलिक अधिकारी एवं मंडी सचिव लक्ष्य निर्धारित कर निरीक्षण की कार्यवाही करावें तथा मंडी शुल्क अपवंचन की ज्यादा से ज्यादा वसूली कराया जाना सुनिश्चित करें जो आगामी माह की समीक्षा में प्रदर्शित हो।

(9) <u>रिक्त/भरे संरचनाओं की जानकारी:-</u>

समस्त संभागों की मंडी/उपमंडी प्रांगणों में रिक्त संरचनाओं की ई-नीलामी प्रक्रिया 1 माह में प्रारंभ कराये जाने के निर्देश दिए गए। मंडियों की समस्त संरचनाओं की जानकारी बोर्ड स्तर पर संधारित हो इसके लिए 15 दिवस की समयावधि निर्धारित की गई।

(10) <u>ई-नाम:-</u>

प्रदेश की 120 कृषि उपज मंडी समितियों में ई-नेम योजना प्रारंभ की जाना है। उक्त योजना लागू करने के लिए निर्धारित फॉर्मेट में समस्त जानकारी भरकर तत्काल भेजने के निर्देश दिए गए। समस्त कार्यवाही हेतु 15 दिवस की समयावधि निर्धारित की गई।

(11) <u>अतिक्रमण:-</u>

सभी आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रदेश की ऐसी मंडी समितियां जहां स्थाई अतिक्रमण हो गए हैं, उन्हें चिन्हित कर 03 माह की समयावधि में हटवायें। समस्या होने पर जिला प्रशासन एवं मुख्यालय का सहयोग लेवे।

(12) <u>निरीक्षण:-</u>

समस्त आंचलिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आगामी 03 माह का निरीक्षण कार्यक्रम बनाकर मुख्यालय स्तर से अनुमोदन प्राप्त करें। सप्ताह में कम से कम एक मंडी का निरीक्षण आवश्यक रूप से करें। आवश्यकता होने पर दल का गठन करें एवं मंडियों से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदन मुख्यालय प्रेषित करें।

(13) <u>विधानसभा प्रश्न एवं सीएम मॉनिट:-</u>

विधानसभा प्रश्नों की जानकारी 02 दिवस की अवधि में मुख्यालय प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। विधानसभा प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करने हेतु स्मरण पत्र जारी न किया जावे। उत्तर अप्राप्त होने पर प्रबंध संचालक को अवगत कराया जावे।

सीएम मॉनिट के प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही की जाकर अधिकतम 01 सप्ताह की समयावधि में निराकरण कराये जाने के निर्देश दिए।

(14) <u>भूमि का नामांतरण:-</u>

मंडियों के नामांतरण के लंबित प्रकरणों में समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समीक्षा कर सभी प्रकरणों को RCMS पोर्टल के माध्यम से नामांतरण हेतु आवेदन करावे। समस्त प्रकरणों का शीघ्रता से प्राथमिकता के साथ निपटारा करावे।

(15) मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों हेतु एनपीएस:-

मंडी समिति सेवा के कार्मिकों हेतु एनपीएस लागू किया जाना है जिसके लिए मुख्यालय से निर्देशिका जारी की गई है। 31 जनवरी 2025 तक की समयसीमा में समस्त मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों के एनपीएस खाता खोले जाने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए।

(16) बोर्ड ऋण एवं बोर्ड शुल्क:-

कतिपय मंडियों द्वारा बोर्ड द्वारा प्रदाय ऋण की वापिसी नहीं की जा रही है तथा बोर्ड शुल्क भी नियत समयावधि में प्रेषित नहीं किया जा रहा है। अतः नियत समयावधि में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

(17) अवमानना प्रकरण:-

ऐसे अवमानना प्रकरण जिनमें मुख्य सचिव महोदय पर कंटेम्प्ट लगा हो तथा जिन प्रकरणों में पूर्व प्रबंध संचालक या ऐसे अधिकारी हों जिनका अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है। ऐसे प्रकरणों में अविलंब नाम परिवर्तन हेतु माननीय न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

(18) मंडी कार्यालयों एवं आंचलिक कार्यालयों में उपस्थिति:-

यह सुनिश्चित किया जावे कि कृषि उपज मंडी कार्यालयों एवं आंचलिक कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों का वेतन भुगतान उनकी उपस्थिति दर्ज होने के उपरांत ही हो। मंडी एवं आंचलिक कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति को मुख्यालय स्तर से लिंक किए जाने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त/उप संचालकों एवं मंडी सचिवों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश:-

- समस्त आंचलिक संभागों के अधिकारी संभाग में उपस्थित रहकर क्रियाशील रहते हुए जिला कलेक्टरों के साथ समन्वय बनाये रखे एवं समय-समय पर उनके समक्ष स्वयं की उपस्थिति दर्ज करायें। समस्त सचिवों को भारसाधक अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने हेतु निर्देशित करें। समस्त आंचलिक संभागों के अधिकारी समस्त मंडियों को इस तरह से व्यवस्थित करे कि मात्र आंचलिक संभागों की समीक्षा से प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों का दृश्य स्पष्ट हो सके।
- समस्त आंचलिक अधिकारी निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि कृषि उपज मंडियों की आय को बढ़ाते हुए कृषकों को अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराई जावे जिससे कृषक मंडियों की ओर आकर्षित हों, कृषकों को सही भाव मिले, सही तौल हो, आर.ओ. प्रांगण में उचित

स्थान पर लगे हों जिसमें पीने का स्वच्छ पानी हो, टंकियों की नियमित सफाई हो, स्वच्छ शौचालय हो, स्वच्छ विश्रामगृह हो, प्रांगण स्वच्छ हो ऐसी व्यवस्था बनाई जाये।

- राज्य मंडी बोर्ड सेवा के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें ड्रेस कोड लागू किया गया है, उसका अनिवार्य रूप से पालन कराया जावे।
- मंडी प्रांगणों में कृषकों के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जावे। आंचलिक अधिकारी एवं मंडी सचिव समय-समय पर निरीक्षण कर गुणवत्ता जांचे।
- मंडी प्रांगणों का स्वरूप वृहद स्तर का होता है अतः घोषणा हेतु उचित स्थानों पर अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया जावे। संकेतकों को उचित स्थानों पर एवं उचित ऊंचाई पर लगाया जावे, जो कृषकों को दृश्य हो।
- फ्लाईंग स्क्वाड बनाते हुए मंडी एवं संभाग स्तर से मंडी शुल्क के अपवंचन को रोका जावे।
- कई मंडी समितियों के प्रशासनिक खर्चे वेतन भत्तों से भी ज्यादा हैं। उन प्रकरणों में मंडी सचिवों से स्पष्टीकरण लिया जावेगा जिसका उत्तर केवल वीडियो कांफ्रेंस समीक्षा बैठक में ही मान्य किया जावेगा। अ एवं ब वर्ग की मंडी समितियों का बजट सभी संभागीय अधिकारी अपने अभिमत सहित तैयार करायें जिससे अनावश्यक होने वाले व्यय को रोका जा सके।
- कृषि उपज मंडी समितियों में लंबित बैंक समाधान पत्रकों का नियत समयावधि में मिलान कराया जावे। वर्तमान में लंबित बैंक समाधान पत्रकों को 1 माह की समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।
- समीक्षा करने पर पाया गया है कि मेनपावर, सुरक्षा एवं सफाई आदि कार्य हेतु खर्च बहुत अधिक होता है, जबकि उनका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है। उपलब्ध संसाधनों का दुरूपयोग न किया जावे, इसका विशेष ध्यान रखा जावे।
- आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना भविष्य के 50 वर्षों की आवश्यकताओं को देखते हुए तैयार की जावे। प्रदेश की कई मंडियां शहरों के विस्तार होने से शहरों के मध्य में स्थापित हो गई हैं। अतः ऐसी मंडियों में प्रांगण की आवश्यकता एवं यातायात की सुगमता अनुसार कार्ययोजना तैयार कर निर्माण कार्य किए जावे अनावश्यक कहीं भी निर्माण कार्य न किए जावे।
- समीक्षा करने पर पाया गया है कि निर्माण कार्य में पर्याप्त पर्यवेक्षण की आवश्यकता है, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता घटिया होने पर कार्यवाही की जावेगी।
- कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों को कार्ययोजना पर प्रत्येक कार्यदिवस के आधार पर स्मरण कराने हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए।
- सभी कृषि उपज मंडी समितियों को पर्यावरणीय बनाया जाने की दिशा में कार्य करें।

- नकारात्मक खबरें जो क्षेत्रीय स्तर की होती है, उन्हें तत्काल प्रबंध संचालक के संज्ञान में लाये जाने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर किसी की जिम्मेवारी निर्धारित करें एवं वाट्सएप के माध्यम से तत्काल अवगत करायें।
- अनुकंपा नियुक्तियों के प्रकरणों को लंबित न होने देंवे, प्राथमिकता के साथ निराकरण करें।
- पैरामीटर तय कर कृषि उपज मंडियों की रैंकिंग सिस्टम तैयार कराने पर विचार किया गया ताकि मंडियां प्रतिस्पर्धात्मक हों एवं सर्वसुविधायुक्त बनें।
- आगामी समयसीमा बैठकों में समस्त आंचलिक कार्यालयों के संयुक्त/उप संचालकों को वीडियों कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़ने के निर्देश दिए।

(धन्यवाद ज्ञापन उपरांत समीक्षा बैठक संपन्न हुई।)

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

पृ.क्र./बोर्ड/समन्वय/मा.स.बै./नवम्बर/2024/2064 भोपाल, दिनांकः- 9/.12/2024

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, म०प्र०शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
3. अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
4. अधीक्षण यंत्री, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
5. कार्यपालन यंत्री/संयुक्त/उप/सहायक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
6. संयुक्त/उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
7. कार्यपालन यंत्री (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड तकनीकी संभाग(समस्त)।
8. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति.............. (समस्त)।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल